

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 301]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 19, 1972/अग्रहायण 28, 1894

No. 301]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 19, 1972/AGRAHAYANA 28, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सकें।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December 1972

G.S.R. 492(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 34 of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 (36 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Coking Coal Mines (Statement of Accounts) Rules, 1972.

2. Preparation of statement of accounts.—(1) The statement of accounts and Gazette.

2. Preparation of statement of accounts.—(1) The statement of accounts and the supplementary statement of accounts referred to in section 22 of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 (36 of 1972) shall be prepared by the Bharat Coking Coal Limited, a Government company, in the form set out in the Appendix to these rules.

(2) Any supplementary statement of accounts shall be prepared by the said Government company and furnished to the owner of the coking coal mine or the coke oven plant, as the case may be, at intervals of one month each.

APPENDIX

Form of Statement of Accounts/Supplementary Statement of Accounts

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT OF THE.....OWNER OF
..... COLLIERY FOR THE PERIOD OF
MANAGEMENT FROM 17-10-71 To 30-4-72.

	On account of transactions prior to 17-10-1971	On account of transactions subsequent to 17-10-1971	Total
Payment			
I	2	3	4
To Salaries and wages (Gross)			
„ Bonus			
„ Provident Fund Contribution (Employers' portion)			
„ Provident Fund (Employers' portion)			
„ Income Tax recovered from Salaries & wages remitted			
„ Income Tax paid on colliery income			
„ Sales Tax paid			
„ Power and fuel			
„ Rent			
„ Rates and Taxes excluding taxes on income			
„ Insurance			
„ Repairs to Buildings			
„ Repairs to Machinery			
„ Rebate/Commission paid to middlemen			
„ Bank Charges			
„ Repairs and maintenance of vehicles			
„ Workmen and staff welfare expenses			
„ Other Miscellaneous expenses			
„ Royalty and cess			
„ Contractors payments			
„ Payment for stores			

	1	2	3	4
To Capital expenditure				
(i) Land				
(ii) Buildings				
(iii) Lease holds				
(iv) Railway Sidings				
(v) Plant and Machineries				
(vi) Furniture and Fittings				
(vii) Development of Projects				
(viii) Live Stock				
(ix) Vehicles etc.				
To Supplies made against deposits received by the owners prior to 17-10-71				
„ Expenses of Management after take over				
„ Refund of deposits taken prior to 17-10-71				
„ Refund to Bank of Bills discounted after 17-10-71				
TOTAL				

(If prepayments have been made only net amount may be shown the prepayment being carried forward in Bharat Coking Coal Limited books).

Receipts

By Opening Balance taken over	
Cash	
Bank	
„ C. M. P.F. Contribution recovered from emp- loyees' pay bills	
By Income Tax recovered from wages and Salaries Bill.	
„ Sale realisations (including discounted bills re- ceived through owners Banking arrangement extend- ed by custodian)	
„ Coal Board Subsidy	
„ Proceeds from Sale of Assets	
Land	
Buildings	
Plant and Machinery	
Furniture & Fixtures	
Vehicles etc.	
„ Miscellaneous receipts giving details headwise .	
Sale of scrap etc.	
„ Refund of Sales tax	
„ Refund of Income tax	
„ Adjustment of Advances paid prior to take over.	

1	2	3	4
<i>Capital Accounts</i>			
.....			
.....			
.....			
<i>Revenue Accounts</i>			
.....			
.....			
.....			
By Interest receipts (on loan taken)			
TOTAL			

STATEMENT I.—

List of Outstanding debtor for despatches between 17-10-1971 and 30-9-1972

Serial Number	Name of Party	Bill No.	Quantity of coal	Price	Amount Received if any	Balance Outstanding
------------------	------------------	----------	---------------------	-------	------------------------------	------------------------

STATEMENT II.—

List of Outstanding liability for period 17-10-1971 to 30-4-1972

Serial Number	Name of party	Nature of liability	Amount
------------------	---------------	---------------------	--------

STATEMENT III.—

Payment in respect of pre 17-10-71 transactions including Security Deposits received prior to 17-10-71 and adjusted against despatches.

Serial Number	To whom paid	Date	Nature of payment	Account classification	Amount
------------------	-----------------	------	----------------------	------------------------	--------

STATEMENT—IV

Receipts in respect of pre 17-10-71 transactions including Advances received prior to 17-10-71 and adjusted against material received or service rendered after 17-10-71

Serial Number	From whom received	Date	Nature of receipt	Account classification	Amount
---------------	--------------------	------	-------------------	------------------------	--------

STATEMENT—V

Coal Board subsidy outstanding of dues arising between 17-10-71 and 30-4-1972

Serial Number	Nature of subsidy	Present stage of claim acceptance by Coal Board including Bill/Claim/letter Reference Number	Period to which it pertains	Amount
---------------	-------------------	--	-----------------------------	--------

STATEMENT—VI

Store consumption between 17-10-71 and 30-4-1972

Amount in Rupees .

STATEMENT—VII.

Capital Addition between 17-10-71 and 30-4-72

Serial Number	Nature of item	Account classification	Amount
---------------	----------------	------------------------	--------

STATEMENT—VIII

Stock as on 30-4-1972

Serial Number	Grade of Coal/Cock	Quantity (tonnes)
---------------	--------------------	-------------------

हम्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 72

सा० का० नि० 492(अ).—कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 36) की धारा 34 की उपधारा (2) के खण्ड(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) इन नियमों का नाम कोककारी कोयला खान (लेखा-विवरण) नियम, 1972 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लेखा विवरण का बनाना.—(1) कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 36) की धारा 22 में निर्दिष्ट लेखा-विवरण तथा अनुपूरक लेखा-विवरण भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा, जो कि सरकारी कम्पनी है, इन नियमों के परिशिष्ट में उपरिष्ठित प्ररूप में बनाया जाएगा।

(2) उक्त सरकारी कम्पनी द्वारा कोई अनुपूरक लेखा-विवरण बनाया जाएगा और, यथास्थिति, कोककारी कोयला खान या कोक भट्टी संयंत्र के स्वामी को प्रत्येक एक मास के अन्तराल पर दिया जाएगा।

परिशिष्ट

लेखा-विवरण/अनुपूरक लेखा-विवरण का प्ररूप

.....
 17-10-71 से 30-4-72 तक प्रबन्ध की अवधि के लिए.....
 कोयला खान के स्वामी की
 प्राप्ति और संदाय का लेखा

10-10-1971 के पूर्व संव्यवहारों के महें	17-10-71 के पश्चात् संव्यवहारों के महें	कुल
1	2	3

संदाय

वेतन और मजदूरी (सकल) को

बोनस को

अविष्य निधि अभिदाय (नियोजक का

हिस्सा) को

1

2

3

भविष्य निधि (कर्मचारियों का हिस्सा) को

प्रेषित वेतन तथा मजदूरी से वसूल
किए गए आयकर को

कोयला खान की आय पर संदत्त आय-
कर को

संदत्त विक्रय-कर को
शक्ति और ईंधन को
किराये को

आय पर कर को छोड़ कर
रेट और कर को
बीमे को

भवन मरम्मत को
मशीनरी-मरम्मत को
मध्यस्थों को संदत्त
रिबेट/कमीशन को
बैंक प्रचार को
यानों की मरम्मत और अनुरक्षण को
कर्मकार तथा कर्मचारियों के
कल्याण व्यय को

अन्य प्रकीर्ण व्यय को

स्वामित्व तथा उपकर (सेस) को
ठेकेदारों के संदायों को

भंडारों (स्टोअर्स) के लिए संदाय को
पूँजीगत व्यय को—

(i) भूमि

(ii) भवन

(iii) पट्टा-धृतियाँ

(iv) रेलवे साइडिंग

(v) संयंत्र और मशीनरी

(vi) फर्निचर और फिटिंग

(vii) परियोजना-विकास

(viii) पशु-धन

(ix) यान आदि

1

2

3

17-10-71 के पूर्व स्वामियों द्वारा
प्राप्त जमा के प्रति किए गए प्रदाय
को..... के
प्रबन्ध ग्रहण के पश्चात् प्रबन्ध-
व्यय को

17-10-71 के पूर्व की गई जमा की
वापसी को

17-10-71 के पश्चात् मितीकाटे
पर भुगतान किए गए विनिमय-
पत्रों के बैंक की वापसी को

कुल

(यदि पूर्व-संदाय किए गए हैं, तो
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की
बहियों में पूर्वसंदायों को अग्रणीत
करके केवल कुल रकम दर्शित
करनी चाहिए।)

प्राप्ति

ग्रहण किए गए प्रारंभिक प्रतिशेष

द्वारा

रोकड़.....

बैंक.....

..... के

कर्मचारियों के वेतन बिलों से वसूल

किए गए को० खा० भ० नि० के

अभिवाय द्वारा मजदूरी तथा वेतन

बिल से प्राप्त किए गए आयकर

द्वारा

विक्रय-ज्ञापन (जिनमें अभिरक्षक द्वारा

विस्तारित, स्वामियों को बैंककारी

व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त मिती-

काटे पर भुगतान किए गए विनिमय-

पत्र आते हैं) द्वारा

कोयला बोर्ड की आर्थिक सहायता

द्वारा

आस्तियों के विक्रय के आगम द्वारा

भूमि

भवन

1

2

3

संयंत्र तथा मशीनरी

फर्निचर तथा फिक्सचर

यान, आवि

शीर्षकवार ब्यौरे देते हुए

प्रकीर्ण प्राप्तियों द्वारा

स्क्रेप आवि का विक्रय

विक्रय-कर की वापसी द्वारा

आय-कर की वापसी द्वारा

प्रबन्ध ग्रहण के पूर्व संदत्त

अग्रिमों के समायोजन द्वारा

पूँजी खाता

.....

.....

.....

राजस्व खाता

.....

.....

.....

ब्याज प्राप्तियों द्वारा (लिए गए ऋण
पर)

कुल

विवरण—I

17-10-1971 और 30-9-1972 के बीच ज़ेब्रों के लिये बकाया ऋणों की सूची

क्रम सं०	पक्षधार का नाम	वित्त सं०	कोरले का परिमाण	कीमत	प्राप्त रकम यदि कोई हो	बकाया प्रतिशेष
----------	----------------	-----------	-----------------	------	------------------------	----------------

विवरण—II

17-10-1971 से 30-4-1972 तक की अवधि के लिये बकाया दायित्व की सूची

क्रम सं०	पक्षधार का नाम	दायित्व का प्रकार	रकम
----------	----------------	-------------------	-----

विवरण—III

17-10-1971 के पूर्व संभवहारों के बारे में संदाय जिसमें 17-10-1971 के पूर्व प्राप्त और ज़ेब्रों के प्रति समायोजित प्रतिभूति जमा भी सम्मिलित है

क्रम सं०	वित्त की संज्ञा	तारीख	संशय का प्रकार	लेखा-वर्गीकरण	रकम
----------	-----------------	-------	----------------	---------------	-----

विवरण—IV

17-10-1971 के पूर्व संप्रवहनों के बारे में प्राप्तियां जिनमें 17-10-1971 के पूर्व और 17-10-1971 के पश्चात् प्राप्त सामग्री या दी गई सेवा के प्रति समायोजित अग्रिम धन आते हैं

क्र. सं०	किस से प्राप्त	तारीख	प्राप्ति का प्रकार	लेखा-वर्गीकरण	रकम
----------	----------------	-------	--------------------	---------------	-----

विवरण—V

17-10-1971 और 30-4-1972 के बीच उद्भूत कोयला बोर्ड आर्थिक सहायता देयों का बकाया

क्र. सं०	आर्थिक सहायता का प्रकार	कोयला बोर्ड द्वारा वावा स्वीकृत को सांप्रत स्थिति जिसमें बिल/वावा/मत्र की निर्देश संख्या सम्मिलित है	जिससे वह सम्बन्धित है वह अवधि	रकम
----------	-------------------------	--	-------------------------------	-----

विवरण—VI

17-10-1971 और 30-4-1972 के बीच सामान का उपयोग (हाथों में रकम)

विवरण—VII

17-10-1971 और 30-4-1972 के बीच पूंजी-वृद्धि

क्रम सं०	मद का प्रकार	लेखा-वर्गीकरण	रकम
----------	--------------	---------------	-----

विवरण—VIII

30-4-72 को यथा स्टाक

क्रम सं०	कोयला/कोक की श्रेणी	परिमाण (टन)
----------	---------------------	-------------

[फा० सं० 20(37)/72को-I]

जी० बी० जी० गमन, अवसर सचिव ।